निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 19/अपील/17

श्रीमति सम्पतबाई बेवा रामशंकर जाति मीणा नि0 भवानीमण्डी (मृतका)
कानूनी वारिसान
01. राजेश आ0 रामशंकर जाति मीणा नि0 भवानीमण्डी हाल नागदा
02. श्रीमति सुनिता पुत्री रामशंकर जाति मीणा नि0 नागदा म0प्र0

बनाम

श्रीमति नीमा वर्मा पत्नी अनिल वर्मा जाति मीणा नि0 टगर मोहल्ला,भवानीमण्डी

अपील बनाराजगी आदेश तहसीलदार पचपहाड़ जो इन्तकाल न0 1544 पर दिनांक 17.03.2017 को प्रदान कर अपीलान्ट का ग्राम माण्डवी स्थित आराजी का 1/3 हिस्सा रेस्पो0 न0 1 के नाम दर्ज किया गया।

उपस्थितः— श्री सुदामा राठोर, अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री विजय कुमार जैन, अभिभाषक रेस्पो0

—: निर्णय :— दिनांकः 21.01.2019

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक तहसीलदार पचपहाड़ के आदेश दिनांक 17.03.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट्स व उनकी माता के संयुक्त खाते की ग्राम माण्डवी स्थित आराजी रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा में से अपीलान्ट की माता का 1/3 हिस्सा है उक्त हिस्से को रेस्पो0 ने एक बनावटी रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर इन्तकाल संख्या 1544 तस्दीक करवाने से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि रेस्पो0 द्वारा बनावटी रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर दिनांक 14.11.2014 को नामान्तरकरण हेतु ग्राम पचांयत कुण्डीखेडा में प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर ग्राम पंचायत ने पारिवारिक मामला बताते हुए इन्तकाल तस्दीक नही किया तत्पश्चात तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा दिनांक 17.03.2017 को अपीलान्ट व सहखातेदार को सुनवाई का मौका दिये बिना इन्तकाल तस्दीक किया गया जो न्याय विधान व तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पो0 न0 1 ने अपीलान्ट की माता को अंधेरे में रखकर उनकी अज्ञानता,वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाकर सम्पूर्ण खाते में उसका 1/3 हिस्सा बैचान करना दर्ज कर लिया जबकि अपीलान्ट ने केवल खसरा न0 70 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा में अपना 1/3 हिस्सा ही बैचान किया है व रेस्पो0 को कब्जा दिया है बाकि आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है। मृतका सम्पतबाई ने अपर जिला एंव सैशन न्यायाधीश भवानीमण्डी में इस तथाकथित बैचान को निरस्त करने हेतू दीवानी वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण जैर अपील निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। ।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 की और से अभिभाषक श्री विजय कुमार जैन उपस्थित हुए । अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रकरण में लिखित उत्तर प्रस्तुत किया जाकर मुख्यतः अपील का पेरा न0 1,2,3,5,6,7 गलत,असत्य एंव आधारहीन होने से अस्वीकार किया गया व पेरो 4 को स्वीकार किया गया विशेष कथन में अंकन किया गया कि मृतक सम्पतबाई से उनके जीवनकाल में उनका सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया गया है अपील खारिज की जावे।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि अपीलान्ट व उनकी माता के संयुक्त खाते की ग्राम माण्डवी स्थित आराजी रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा में से अपीलान्ट की माता का 1/3 हिरसा है उक्त हिस्से को रेस्पो0 ने एक बनावटी रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर इन्तकाल संख्या 1544 तस्दीक करवाया गया है । रेस्पो0 द्वारा बनावटी रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर दिनांक 14.11.2014 को नामान्तरकरण हेतु ग्राम पचांयत कुण्डीखेडा में प्रकरण प्रतुत किये जाने पर ग्राम पंचायत ने पारिवारिक मामला बताते हुए इन्तकाल तस्दीक नही किया तत्पश्चात तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा दिनांक 17.03.2017 को अपीलान्ट व सहखातेदार को सुनवाई का मौका दिये बिना इन्तकाल तरदीक किया गया जो न्याय विधान व तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पो0 न0 1 ने अपीलान्ट की माता को अंधेरे में रखकर उनकी अज्ञानता,वृद्धावस्था का नाजायज

जिला कलक्टर
झालावाड़

फायदा उठाकर सम्पूर्ण खाते में उसका 1/3 हिस्सा बैचान करना दर्ज कर लिया जबकि अपीलान्ट ने केवल खसरा न0 70 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा में अपना 1/3 हिस्सा ही बैचान किया है व रेस्पो0 को कब्जा दिया है बाकि आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है। मृतका सम्पतबाई ने अपर जिला एंव सैशन न्यायाधीश भवानीमण्डी में इस तथाकथित बैचान को निरस्त करने हेतू दीवानी वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण निरस्त किया जावे। इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा व्यक्त किया गया कि रेस्पो0 द्वारा मृतक सम्पतबाई से उनका सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया गया था व उक्त बयनामें के आधार पर ही तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जो उचित है, आराजी की बैचानकर्ता सम्पतबाई द्वारा आराजी के बैचान के उपरान्त अपने जीवन काल में कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है उनकी मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान जो कि आराजी के सह खातेदार भी हैं द्वारा अपील की गई है जो मान्य नही है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर गौर किया– प्रकरण के अवलोकन से उभरता है कि तहसील पचपहाड़ ग्राम माण्डवी स्थित आराजी रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा में अपीलान्ट्स व उनकी माता प्रत्येक का 1/3 हिस्सा था, उक्त आराजी में से अपीलान्ट की माता द्वारा अपने हिस्से की आराजी को रेस्पो0 को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा के बैचान किया गया था। तत्समय उक्त आराजी के इन्तकाल बाबत ग्राम पचांयत कुण्डीखेडा में प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर ग्राम पंचायत ने पारिवारिक मामला बताते हुए इन्तकाल तस्दीक नही किया गया तत्पश्चात तहसीलदार पचपहाड़ के समक्ष नामान्तरकरण हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जाने पर तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा बाद रिपोर्ट पटवारी आई.एल.आर के दिनांक 17.03.2017 को नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। यंहा मुख्य तथ्य यह है कि वह नामान्तरकरण सही है या नही ? प्रकरण के अवलोकन व दौराने बहस उभय पक्ष द्वारा व्यक्त किये गये कथन से यह तो प्रथम दृष्टया (Prima facie) प्रकट होता है कि तहसील पचपहाड़ ग्राम माण्डवी में उक्त खाता संख्या की आराजी अपीलान्ट्स व उनकी माता की संयुक्त खातेदारी में 1/3 हिस्सा दर्ज था उक्त आराजी में से 1/3 हिस्सा अपीलान्ट्स की माता द्वारा रेस्पो0 को बेचान किया गया है। यंहा यह भी दर्शित करना उचित होगा की अपीलान्ट्स की माता द्वारा ही एक वाद बाबत निरस्त करने बेचान पत्र माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश भवानीमण्डी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो माननीय न्यायालय में जेरकार है। इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था वह रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर ही तस्दीक किया गया था । उपरोक्त विवेचन से रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर तस्दीक नामान्तरकरण तो उचित ही है अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। किन्तु नामान्तरकरण अस्तीत्व में रहने पर पुनः किसी भी तरह का बेचान होने का सशंय प्रकट होता है तथा इसी आराजी के रजिस्टर्ड दस्तावेज की निरस्तीकरण बाबत वाद माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश भवानीमण्डी में विचाराधीन भी है। अतः वाद के परिपेक्ष्य में तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं इसके अन्तर्गत बने भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (1) व अधिनियम की धारा 75(1)(डी) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त क्षेत्राधिकार के तहत भूमिधारी तहसीलदार पचपहाड़ को प्रथम दृष्टया न्यायहित में आदेश है कि–तहसील पचपहाड़ ग्राम माण्डवी के नामान्तरकरण संख्या 1544 जो दिनांक 17.03.2017 को तस्दीक किया गया है के क्रियान्वयन को स्थगित रखें तथा माननीय सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय के पंजीबद्ध दस्तावेज की वैद्यता के निर्णय तक खुर्द–बुर्द,रहन,बय, विक्रय पर रोक लगाई जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय (भूमिधारी तहसीलदार) को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर,
झालावाड